संख्या/ 23 / XXIV-3/2007/2(110)/05

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून ।

शिक्षा अनुभाग-3 देहरादून दिनाँक 25 जनवरी,2007

विषयः राजकीय इण्टर कालेज सौंराखाल, रूद्रप्रयाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन-4/40869/अधूरे भवन/2006-07 दिनॉक 15-11-2006 के कम में शासनादेश संख्याः 127/माध्यमिक/2001 दिनॉक 21-12-2001 एवं शासनादेश संख्याः 46/XXIV-3/2006 दिनॉक 25-3-2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय इण्टर कालेज सौंराखाल, रूद्रप्रयाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 206.68 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत रू0 181.31 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रू0 रू0 25.37 लाख (रूपये पच्चीस लाख सैंतीस हजार मात्र)की धनराशि को शासनादेश संख्या 233/ XXIV-3 / 2006 दिनॉक 27-4-2006 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 367.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

2- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी

होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभाँति निरीक्षण तकन अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

(9)– निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी। अनुमोदित लागत पर ही निर्माण कार्य को पूरा किया जाय। किसी भी दशा में आगणनों को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहाँ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय –01–सामान्य

शिक्षा–202–माध्यमिक शिक्षा –आयोजनागत– 91–जिला योजना– 9102–राजकीय उ0मा0विद्यालयों /इण्टर कालेजों –बालक/बालिका के अधूरे भवनों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था –24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 1495/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2006 दिनॉक 02 जनवरी, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
सचिव

संख्याः 23 (1)/ XXIV–3/2006 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त गढ़वाल मण्डल– पौड़ी।
6– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल–पौड़ी।
7– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय ।
8– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
9– कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
10– जिला शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
11– वित्त विभाग /नियोजन प्रकोष्ठ।
12– कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
13– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14– संबंधित निर्माण ऐजेन्सी।
15 – गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव